सम्मन केस, परिवाद जांच, धोखाधड़ी के प्रकरण पीडित प्रतिकर योजना व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में निर्देश

Content

Time: 90 min

1. सम्मन केस में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. द्वारा निस्तारण के संबंध में, कमांक 2734–86 दिनांक 27.02.2019
2. धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्राप्त परिवादों के संबंध में, कमांक 6659 दिनांक 27.03.2019
3. धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों के संबंध में, कमांक 1601–1676 दिनांक 22.01.2019
4. अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में, कमांक 2297–2367 दिनांक 31.01.2019
5. आपराधिक प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत प्रतिकर, कमांक 2682–734 दिनांक 27.02.2019
6. चाईनीज मांझे के उपयोग पर प्रभावी रोक के संबंध में, कमांक 659–739 दिनांक 10.01.2019
7. शराबबंदी आन्दोलन के संबंध में दिनांक 25.01.2019 को आयोजित बैठक में लिए गय निर्णय की पालना के संबंध मे, कमांक 5919–90 दिनांक 13.03.2019
8. परिपत्र बाबत् स्वेच्छा से विवाह करने वाले दम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में, कमांक 541 दिनांक 18.01.2019

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा

राजस्थान

क्र.सं. 2734-86 दिनांकः- 27-02-2[illegible]

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर,

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस।

विषयः सम्मन केस में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. द्वारा निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर पीठ द्वारा D.B. Criminal Appeal No. 1112 / 2014 में दिनांक 11.02.2019 को दिए गए आदेश के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आपराधिक प्रकरणों का वर्गीकरण सम्मन केस व वारंट केस के रूप में किया गया है। सम्मन केस से अभिप्रेत है कि ऐसे प्रकरण जिनमें अधिकतम सज़ा 2 वर्ष के कारावास तक या उससे कम है। शेष प्रकार के केस वारंट केस की श्रेणी में आते हैं।दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 257 एवं 258 में सम्मन केस में परिवाद वापस लेने अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल बंद करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

कई बार विभिन्न कारणों से विशेषकर जहाँ आरोपी लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित [illegible] तो साधारण प्रकृति के अपराधों में धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्रवाई से प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है।

इस हेतु आप आपके थाने के सम्बंधित न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी/ सहायक अभियोजन अधिकारी से संपर्क कर न्यायालय में जैर-ट्रायल प्रकरणों की सूची तैयार कर, उनका सम्मन केस व वारंट केस के रूप में वर्गीकरण करें। उनमें से ऐसे सम्मन केसों की सूची, जिसमें अपराधी लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उनमें धारा 257 एवं 258 दं.प्र.सं. में अग्रिम कार्रवाई हेतु सम्बंधित न्यायालय को निवेदन करें। इस सम्बन्ध में न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर पीठ द्वारा D.B. Criminal Appeal No. 1112/2014 में दिनांक 11.02.2019 को दिए गए आदेश (संलग्न) की प्रति भी

☏: +91-141-2740873 🖷: +91-141-2740682 ✉: adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

Scanned by CamScanner